

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.)

:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::

मैं, श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला, जिला-मण्डला, म.प्र., दं.प्र.सं. 1973 की धारा 14 व 15 एवं म0प्र0, दण्डिक नियम एवं आदेश के नियम-31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक कार्य रिमाण्ड हेतु तहसील व जिला मण्डला के लिए **माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसम्बर 2023** में न्यायिक पदस्थापना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों की निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाती हूँ:-

क.	न्यायिक दंडाधिकारी	माह अक्टूबर 2023	माह नवंबर 2023	माह दिसम्बर 2023
1	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	02 एवं 08.10.2023	15 एवं 26.11.2023	03 एवं 25.12.2023
2	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	15 एवं 29.10.2023	10, 18 एवं 27.11. 2023	10, 17 एवं 31.12. 2023
3	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	21 एवं 24.10.2023	11 एवं 14.11.2023	—
4	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	01, 22 एवं 23.10.2023	05, 12, 13 एवं 19.11. 2023	16 एवं 24.12.2023
5	श्रीमती जागृति एस. चंद्रकापुरे, जे.एम.एफ.सी., नैनपुर ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस ।
6	सुश्री ऋचा बटेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास ।	01, 08, एवं 29.10. 2023	10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 26.11.2023	03, 16, 24 एवं 31. 12.2023
7	श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास ।	02, 15, 21, 22, 23 एवं 24.10.2023	05, 18, 19 एवं 27.11. 2023	10, 17 एवं 25.12. 2023
8	सुश्री श्वेता परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिछिया ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस ।

टीप :-

01.	उक्त दिनांकों पर रिमाण्ड ड्यूटी की जाना निर्धारित है, किंतु निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक को संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी को यदि अवकाश पर जाना आवश्यक हो, तो संबंधित न्यायिक पदस्थापना पर उपस्थित अन्य न्यायिक दंडाधिकारी से तथा जिस न्यायिक पदस्थापना में एक ही न्यायाधीश पदस्थ हो, वे उनका कार्य देखने वाले अन्य न्यायाधीश से आपसी सामंजस्य स्थापित कर उनके स्थान पर अन्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, इस आशय का अवकाश आवेदन में सहमति सहित हस्ताक्षरित कराया जाकर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को प्रेषित कर अवगत कराएँ।
02.	यदि किसी कारणवश अवकाश घोषित किया जाता है, तब मुख्यालय मण्डला में श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला तथा तहसील निवास में श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास तथा तहसील नैनपुर एवं बिछिया में उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी।
03.	रिमाण्ड ड्यूटी दिन के 3:00 बजे से दिन के 5:00 बजे तक संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा अपने न्यायालय में बैठकर की जावेगी।

(श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला मण्डला(म.प्र.)

पृष्ठ. क्रमांक- / 2023,

मण्डला, दिनांक-22.09.2023

प्रतिलिपि :-
प्रेषित।

- (1)- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला की ओर सूचनार्थ सादर
- (2)- श्रीमती शालू सिरौही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (3)- श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (4)- श्री नरेश सिंह गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (5)- सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (6)- श्रीमती जागृति एस. चंद्रकापुरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर ।
- (7)- सुश्री ऋचा बठेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास ।
- (8)- श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास ।
- (9)- सुश्री श्वेता परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिछिया, जिला मण्डला ।
- (10)- जिला अभियोजन अधिकारी, मण्डला को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे तहसील एवं जिला मण्डला पर रिमाण्ड के दिन अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करायेँ और उनकी ड्यूटी निर्धारित कर प्रतिलिपि इस न्यायालय को प्रेषित करें ।
- (11)- निष्पादन लिपिक, सी.जे.एम. कोर्ट, मण्डला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला मण्डला(म.प्र.)